रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 1986/माघ 16, 1907
No. 60] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 5, 1986/MAGHA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

अधिसूचना सं. 31/86-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 87(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप-धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मालों की नश्वर प्रकृति, समय के बीतने के साथ उनके मूल्य के अवक्षयण, उनके भण्डारकरण स्थान के

बन्धनों और उनकी मूल्यवान प्रकृति का ध्यान रखते हुए, उक्त माल को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

## अनुसूची

1. लिकर ;

2. प्राइमरी सैल और प्राइमरी बैटरियां जिसके अन्तर्गत पुनः चार्ज करने योग्य बैटरियां भी हैं ;

3. कलाई घड़ियां जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिकी कलाई घड़ियां और उनके हिलने डुलने वाले पुर्जे, पुर्जे या अन्य संघटक ;

4. सभी इलैक्ट्रानिक माल, जैसे, टैलीविजन सैट, वीडियो कैसिट रिकार्डर, टेप रिकार्डर, कैलकुलेटर, कम्प्यूटर, उनके संघटक और फालतू पुर्जे, जिसके अन्तर्गत डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आदि भी है, और

5. अनिष्टकर मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ ।

[फा. सं. 394/387/85-सी. यू. एस. (ए. एस.)]
ओम प्रकाश, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th February, 1986

## NOTIFICATION NO. 31/86-CUS

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, having regard to the perishable nature, depreciation in the value with the passage of time, constraints of storage space and valuable nature, of the goods, mentioned in the Schedule hereto annexed, hereby specifies the said goods for the purposes of that sub-section.

## SCHEDULE

1. Liquors ;
2. Primary cells and primary batteries including re-changeable batteries ;

3. Wrist watches including electronic wrist watches ; watch movements, parts or components thereof ;

4. All electronic goods including television sets, Video Cassette Recorders, Tape recorders, calculators, computers ; components and spares thereof including diodes, transistors, integrated circuits, etc ; and

5. Dangerous drugs and Psychotropic substances.

[F. 394|387|85-CUS(AS)]

OM PRAKASH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 1989/आषाढ़ 9, 1911
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 1989/ASADHA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1989

सं. 42-एन/89

सा.का.नि. 659(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/86-सीमाशुल्क, तारीख 5 फरवरी, 1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(क) मद 1 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"1 क. फोटोचित्रण फिल्में;"

"1 ख. पेटेंट या एकायत्त औषधि, अर्थात्, मनुष्य या पशुओं के आन्तरिक या बाह्य उपचार में उपयोग के लिए या उनमें व्याधियों के निवारण के लिए किसी भी रूप में कोई औषधि या औषधीय निर्मिति, जिस पर या जिसके आधान पर या दोनों पर कोई नाम हो, जो किसी मोनोग्राफ में, किसी फारमोकोपिया या सूत्र संहिता मे विनिर्दिष्ट नहीं है"

(ख) मद 3 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3क. जिप बन्धन,";

(ग) मद 4 में अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा।

(घ) मद 4 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"4 क. धातु खंड सिल्ली या सिक्के के रूप में स्वर्ण;

4 ख. धातु खंड सिल्ली या सिक्के के रूप में चांदी; और।"

[फा. सं. 394/81/88-सी. शु. (ए.एस.)]

ए.सी. सलदान्हा, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1989

### NO. 42-N|89 CUSTOMS

G. S. R. 659 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31|86-Customs, dated the 5th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,

(a) after item 1, the following items shall be inserted namely :—

"1A. Photographic Films;";

"1B. Patent of Proprietary medicine; i.e., any drug or medical preparation, in whatever form, for use in the internal or external treatment of, or for the prevention of ailments in, human beings or animals, which bears either on itself or on its container or both, a name which is not specified in a monograph, in a Pharmacopoeia or Formulary."

(b) after item 3, the following item shall be inesrted, namely :—

"3A. Zip fasteners ;";

(c) in item 4, the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(d) after item 4, the following items shall be inserted, namely :—

"4A. Gold in the form of bullion, ingot or coin;
4B. Silver in the form of bullion, ingot or coin ; and".

[F. No. 394|81|88-Cus (AS)]

A. C. SALDANHA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1995/फाल्गुन 10, 1916
No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1995/PHALGUNA 10, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/95–सी०शु० (गै०टै०)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

सा०का०नि० 99(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की दिनांक 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना सं० 31/86–सीमाशुल्क, जिसे दिनांक 25 जनवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या

7/93 सी०शु० (गै०टै०) द्वारा और आगे संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में, मद संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित मद, संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"6. वाहन"

[फा० सं० 394/205/90—सीमाशुल्क (त०रो०)]

आर०डी० नेगी, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना सं० 31/86—सीमाशुल्क [सा०का०नि० सं० 87(अ)] दिनांक 5 फरवरी, 1986 के तहत प्रकाशित हुई थी। बाद में दिनांक 30 जून, 1989 की अधिसूचना सं० 42/89 (सा०का०नि० सं० ) दिनांक 30 जून, 1989 के द्वारा संशोधित किया गया था, और दिनांक 25 फरवरी, 1993 की अधिसूचना सं० 7/93—सीमाशुल्क सा०का० नि० सं० 31(अ) दिनांक 25 फरवरी, 1993 द्वारा और आगे संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION NO. 10:95-CUSTOMS (N.T.)

New Delhi, the 1st March, 1995

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31|86-CUSTOMS dated 5th February, 1986, further amended by Notification No. 7|93-CUS(N.T.), dated the 25th January, 1993.

In the schedule annexed to the said notification, for Item No. 6 and the entry relating thereto, the following item, number and the entry relating thereto shall be substituted, namely :—

"6. Conveyance".

[F. No. 394|205|90-CUS(AS)]

R. D. NEGI, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India : Extraordinary vide Notification No. 31|86-Customs dated the 5th February, [1986 G.S.R. No. 87(E)], dated 5th February, 1986 and subsequently amended by Notification No. 42|89 dated 30th June, 1989 (G.S.R. No. ) dated 30th June, 1989 and further amended by Notification No. 7|93-Customs dated 25th February, 1993 G.S.R. No. 31(E), dated 25th February, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**

**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं० 93 ]** **नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1996/फाल्गुन 21, 1917**
**No. 93]** **NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1996/PHALGUNA 21, 1917**

**वित्त मंत्रालय**

**( राजस्व विभाग )**

**अधिसूचना**

**सं० 12/96-सीमाशुल्क**

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1996

**सा० का० नि० 120 ( अ ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के खण्ड 110 के उप-खण्ड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की दिनांक 5-2-86 की अधिसूचना सं० 31/96-सी० शु० में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में, 'निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"7. मुद्रा, भारतीय और विदेशी" ।

[फा० सं० 394/205/90-सी० शु० (त० रो०)]

डॉ० विनायक प्रसाद, अवर सचिव

**टिप्पणी :**—मूल अधिसूचना, दिनांक 5-2-86 की अधिसूचना सं० 31/86-सी० शु० (सा० का० नि० सं० 87 (अ) दिनांक 5 फरवरी , 1986) के तहत, भारत के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित की गई और बाद में इसे अधिसूचना सं० 42 एन/89, दिनांक 30-6-89, 7/93-सी० शु० दिनांक 25-2-93 (सा० का० नि० सं० 31 (अ) दिनांक 25-2-93) द्वारा संशोधित किया गया था और इसके बाद दिनांक 1-3-95 की अधिसूचना सं० 10/95-सी० शु० (गै० टै०) द्वारा संशोधित किया गया था ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

**NO. 12/96-CUS**

New Delhi, the 11th March, 1996

**G. S. R. 120 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1A) of Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) No. 31/86-Custom dated 5-2-1986.

In the schedule annexed to the said notification, the following entry shall be added, namely :—

"7. Currency, Indian & Foreign."

[F. No. 394/205/90-CUS (AS)]

Dr. VINAYAK PRASAD, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 31/86-CUS dated 5-2-86 (GSR No. 87(E) dated 5th Feb., 1986) & subsequently amended by notification No. 42N/89 dt. 30-6-89, 7/93-Cus dt. 25-2-93 (GSR No. 31(E) dt. 25-2-93) & further amended by notification No. 10/95-CUS (NT) dated 1-3-1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1996.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1998/ कार्तिक 21, 1920
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1998/KARTIKA 21, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 नवम्बर,1998

संख्या : 90/98-सीमा शुल्क (गै. टै.)

**सा. का. नि. 671(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 31/86-सी. शु. में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में, मद सं. 10 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

''11. बॉल बियरिंग्स,

12. सेल्युलर फोन्स''

[फा. सं. 394/205/90-सी. शु. (त. रो.)]

राकेश कुमार शर्मा, उप सचिव

**टिप्पणी :**— मूल अधिसूचना को अधिसूचना सं. 31/86-सी. शु. [सा. का. नि. सं. 87(अ)] तारीख 5 फरवरी, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 30-6-1989 की अधिसूचना संख्या 42/89-सी. शु. (गै. टै.) सा. का. नि. सं. दिनांक 30 जून, 1989, दिनांक 25-1-93 की अधिसूचना सं. 7/93-सी. शु. (गै. टै.) [सा. का. नि. सं. 31(अ)] तारीख 25-1-93 दिनांक 1-3-95 की अधिसूचना सं. 10/95-सी. शु. (गै. टै.), दिनांक पहली मार्च, 1995 [सा. का. नि. सं. 99(अ)] दिनांक 1 मार्च, 1995, दिनांक 11-3-1996 की अधिसूचना सं. 12/96-सी. शु. (गै. टै.) [सा. का. नि. सं. 120(अ)] दिनांक 11-3-1996 और दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. 72/97-सी. शु. (गै. टै.) [सा. का. नि. सं. 720(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 1997] द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 1998

No. 90/98-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 671(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/86-Customs, dated the 5th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item number 10 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be added, namely : —

"11. Ball Bearings;

12. Cellular Phones."

[F. No. 394/205/90-CUS(AS)]

RAKESH KUMAR SHARMA, Dy. Secy.

**Note :**— The principal notification was published in the Gazette of India : Extraordinary vide notification No. 31/86-Customs, dated 5th February, 1986 [G.S.R. 87(E)] dated the 5th February, 1986 and subsequently amended by notification No. 42/89-Customs(N.T.), dated the 30th June, 1989 G.S.R. ............. dated the 30th June, 1989, notification No. 7/93-Customs (N.T.) dated the 25th January, 1993 GSR 31(E), dated the 25th January, 1993, notification No. 10/95-Customs (N.T.) dated the 1st March, 1995 [G.S.R. 99(E), dated the 1st March, 1995], notification No. 12/96-Customs (N.T.) dated the 11th March, 1996 [G.S.R. 120(E)], dated the 11th March, 1996 and notification No. 72/97-Customs (N.T.) dated the 22nd December, 1997 [G.S.R. 720(E), dated the 22nd December, 1997].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

R-9333

20.2.04

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-250
KM. 30

| | | |
|---|---|---|
| सं. 75] | नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2004/माघ 27, 1925 | प्रभारी |
| No. 75] | NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2004/MAGHA 27, 1925 | |

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2004

**सं. 20/2004-सी.शु. (गै.टै.)**

**सा.का.नि. 117(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विनाशशील प्रकृति, समय बीतने के साथ मूल्यह्रास, भण्डारण स्थान के दबावों तथा माल की बहुमूल्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना सं. 31/86-सीमा शुल्क में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में, मद सं. 12 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद संख्याएं तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामत: :—

"13. सोफ्टवेयर;

14. उचित अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 के तहत जब्त कोई भी माल जिसकी अंतरिम मुक्ति के आदेश पारित किए जा चुके हों परन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर अंतरिम मुक्ति को ग्रहण नहीं किया गया हो"।

[फा. सं. 711/38/2003-सी.शु. (त.रो.)]

नसीम आर्शी, अवर सचिव

**टिप्पणी :**—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 31/86-सीमा शुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 1986 [सा.का.नि. 87(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1986] के तहत प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् इसे अधिसूचना सं. 42/89-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 1989, अधिसूचना सं. 7/93-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 25 जनवरी, 1993 [सा.का.नि. 31(अ), दिनांक 25 जनवरी, 1993], अधिसूचना सं. 10/95-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 1995 [सा.का.नि. 99(अ), दिनांक 1 मार्च, 1995], अधिसूचना सं. 12/86-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 11 मार्च, 1996 [सा.का.नि. 120(अ), दिनांक 11 मार्च, 1986] तथा अधिसूचना सं. 72/97/सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 [सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1997], तथा अधिसूचना सं. 90/98-सी.शु. (गै.टै.), [सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 1998] द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2004

**No. 20/2004-CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 117(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, having regard to the perishable nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space and valuable nature of goods, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/86-Customs, dated the 5th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item No. 12 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely :—

"13. Software;

14. Any good seized by the proper officer under Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for which order for provisional release has been passed but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of the communication of such order".

[F. No. 711/38/2003-CUS. (AS)]

NASIM ARSHI, Under Secy.

**Note :**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 31/86-Customs, dated 5th February, 1986 [G.S.R. 87(E), dated the 5th February, 1986] and subsequently amended by notification No. 42/89-Customs (N.T.), dated the 30th June, 1989, notification No. 7/93-Customs (N.T.) dated the 25th January, 1993 [G.S.R. 31(E), dated the 25th January, 1993], notification No. 10/95-Customs (N.T.) dated the 1st March, 1995 [G.S.R. 99(E), dated the 1st March, 1995], notification No. 12/86-Customs (N.T.), dated the 11th March, 1996 [G.S.R. 120(E), dated the 11th March, 1986] and notification No. 72/97-Customs (N.T.), dated the 22nd December, 1997 [G.S.R. 720(E)], dated the 22nd December, 1997 and notification No. 90/98-Cus. (N.T.), [G.S.R. 671(E), dated the 12th November, 1998].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2005/चैत्र 21, 1927
No. 155] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2005/CHAITRA 21, 1927

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

**सं. 32/2005-सी. शु. (गै. टै.)**

**सा.का.नि. 226(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विनाशशील प्रकृति, समय बीतने के साथ मूल्यह्रास, भण्डारण स्थान के दबावों तथा माल की बहुमूल्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 फरवरी, 1986 की अधिसूचना सं. 31/86-सीमा शुल्क में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में, मद सं. 14 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद संख्याएं तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामत: :—

"15. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 सोफ्टवेयर; (1975 का 51) के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम उत्पाद;

16. रेड सन्डर।"

[फा. सं. 711/38/2003-सी. शु. (त. रो.)]

नसीम आर्शी, अवर सचिव

**टिप्पणी :**—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) सा.का.नि. 87(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1986 के तहत् प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् इसे अधिसूचना सं. 42/89-सी. शु. (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 1989, सा.का.नि. 31(अ), दिनांक 25 जनवरी, 1993, सा.का.नि. 99(अ) दिनांक 1 मार्च, 1995, सा.का.नि. 120(अ) दिनांक 11 मार्च, 1996, सा.का.नि. 671(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 1998 द्वारा संशोधित की गई थी और अंतिम बार सा.का.नि. 117(अ), दिनांक 16 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2005

**No. 32/2005-CUSTOMS (NON-TARIFF)**

**G.S.R. 226(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1A) of Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, having regard to the perishable nature, depreciation in the value with the passage of time, constraints of storage space and valuable nature, of the goods, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/86-Customs, dated the 5th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item No. 14 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be added namely :—

"15. Petroleum products falling under Chapter-27 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

16. Red Sander."

[F. No. 711/38/2003-CUS. (AS)]

NASIM ARSHI, Under Secy.

**Note :**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 87(E), dated the 5th February, 1986 and subsequently amended by notification number 42/89-Customs (NT), dated the 30th June, 1989, number G.S.R. 31(E), dated the 25th January, 1993, number G.S.R. 99(E), dated the 1st March, 1995, number G.S.R. 120(E), dated the 11th March, 1996, number G.S.R. 671(E), dated the 12th November, 1998 and was last amended by number G.S.R. 117(E), dated 16th February, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2008/फाल्गुन 17, 1929

No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2008/PHALGUNA 17, 1929

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2008

**सं. 25/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

**सा.का.नि. 170(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार माल की नश्वर प्रकृति, समय बीतने के साथ मूल्य में ह्रास, भंडारण स्थान की बाध्यता एवं माल की मूल्यवान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/86-सीमा शुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित संशोधन और करती है :—

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामशः :—

"17. चन्दन"

[फा. सं. 711/15/2007-सीमा शुल्क (ए एस)]

मिलिंद आर. लांजेवार, अवर सचिव

**पाद टिप्पणी :**—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 87(अ) दिनांक 5 फरवरी, 1986 के तहत प्रकाशित हुई थी तथा इसमें अधिसूचना सं. 42/89-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 30 जून, 1989, सं. सा.का.नि. 31(अ), दिनांक 25 जनवरी, 1993, सं. सा.का.नि. (अ), दिनांक 1 मार्च, 1995, सं. सा.का.नि. 120(अ) दिनांक 11 मार्च, 1996, सं. सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1998, सा.का.नि. 117(अ), दिनांक 16 फरवरी, 2004 द्वारा परवर्ती संशोधन किए गए तथा अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 226(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2005 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2008

**No. 25/2008-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 170 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (lA) of Section 110 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, having regard to the perishable nature, depreciation in the value with the passage of time, constraints of storage space and valuable nature of the goods, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/86-Customs, dated 5th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item No.16 and the entries relating thereto, the following item number and entry shall be added namely :—

"17. Sandalwood".

[F. No. 711/15/2007-Cus. (AS)]

MILIND R. LANJEWAR, Under Secy.

**Foot Note :**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 87(E),dated the 5th February, 1986 and subsequently amended by notification number 42/89-Customs (N.T.), dated 30th June ,1989, number G.S.R. 31(E), dated the 25th January, 1993, number G.S.R.99 (E), dated the 1st March,1995, number G.S.R. 120(E), dated the 11th March, 1996, number G.S.R. 671(E), dated the 12th November, 1998, number G.S.R. 117(E), dated 16th February, 2004 and was last amended by number G.S.R. 226 (E), dated 11th April, 2005.

866 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.